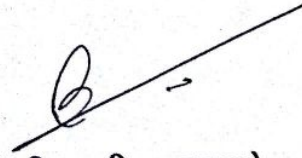


न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दन्तेवाड़ा वन मंडल के अन्तर्गत बचेली परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1853, 1852, 1850, 1838, 1837, 1762P, एवं खसरा क्रमांक 5, 147, 145, 142, 141, 136, 2, 87, 86, 56, 54, 51, 1232, 1231, 1256, 1259, 991, 1225, 1200, 1196, 392, 540, 565, 562, 576, 896, दन्तेवाड़ा परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1401, 1373P खसरा क्रमांक 404, 402, 145, 141, 136, 62, 50, 474, 443, 435, 404, 999, 1003, 984, 961, 963, 964, 968, 976, 970, 1147, 492, 491, 490, 489, 488, 479, 466, 467, 458, 395, 254, गीदम परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1350P, एवं खसरा क्रमांक 151, 150, 152, 148, 154, 153, 155, 156, 157, 158, 170, 171, 172, 175, 138, 117, 28, 194, 193, 160, 165, 940, 265, 286, 283, 288, 300, 310, 320, 808, 15, में कुल रकबा 42.788 हे.वनभूमि/राजस्व वनभूमि में स्लरी पाईप लाईन के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित है, इस हेतु आवश्यकता के मान से प्रस्तावित वनभूमि की न्यूनतम मांग है। Alternate Route Map कंडिका क्रमांक – 44 में संलग्न है।


(व्ही.अजीत.कुमार)
परियोजना प्रबंधक
स्लरी पाईप लाईन परियोजना,
एन.एम.डी.सी. लिमिटेड जगदलपुर

V. Ajit Kumar
Project Manager
Slurry Pipe Line Project
NMDC Ltd., Jagdalpur


वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल,
जिला-दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

FORM - IV

(Form for seeking approval under section 2 of the proposal by the State Government and other authorities.)

I. <u>PROJECT DETAILS</u> I. Short narration of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.	दन्तेवाड़ा तथा बस्तर जिले में किरन्दुल से नगरनार तक स्लरी पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु। वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 83.831 हे० वन भूमि जिसमें 42.788 हे० दन्तेवाड़ा वनम.डल के अंतर्गत तथा 41.043 हे० बस्तर वनम.डल के अंतर्गत प्रस्तावित है बस्तर वनम.डल बस्तर वनम.डल में 4.499 हे० संरक्षित वन, 12.547 हे० सीमांकित संरक्षित वन एवं 23.997 हे० राजस्व वन व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। दन्तेवाड़ा वनम.डल दन्तेवाड़ा वनम.डल में 7.754 हे० संरक्षित वन, 12.198 हे० आरक्षित वन एवं 22.836 हे० राजस्व वन व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में स्लरी पाईप लाईन की कुल लम्बाई 33.552 कि०मी० है।(दन्तेवाड़ा वनम.डल में 17.372 कि०मी० तथा बस्तर वनम.डल में 16.180 कि०मी०)
II. Map showing the required forest area, boundary of adjoining forest and item wise break.up of the required forest area for different purpose (to be authenticated by an officer not below the rank of Deputy Conservator of Forest).	संलग्न है।
III. Total cost of the project.	4000-00 करोड़
IV. Justification for locating the project in the forest area giving alternatives examined and reasons for their rejection.	स्लरी पाईप लाईन के लिए प्रस्तावित कॉरीडोर दन्तेवाड़ा तथा बस्तर जिले में है जो पहाड़ों तथा जंगलों से होकर गुजरती है। स्लरी पाईप लाईन परियोजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया ताकि वन भूमि का व्यपवर्तन कम से कम हो। प्रस्तावित कॉरीडोर में न्यूनतम वन क्षेत्र तथा वृक्षों की संख्या कम से कम है। स्लरी पाईप लाईन का कॉरीडोर तकनीकी तथ्यों के अनुरूप है। दो अन्य वैकल्पिक कॉरीडोरों को विशलेषण करने पर यह पाया गया कि इनमें वन भूमि तथा वृक्षों की संख्या प्रस्तावित कॉरीडोर से अधिक है। 01. यह एक बहुत अच्छा व सुविधाजनक समरेखा है जो कि तकनीकी एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखकर दिया गया है। 02. कम से कम संख्या में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। 03. सड़क एवं ढलान की सुविधा को देखते हुए पाईप लाईन प्रस्तावित की गई है। 04. यहां पर अन्य कोई वैकल्पिक संमरेखा नहीं है जहां पर स्लरी पाईप लाईन का निर्माण कार्य किया जा सके। अतः प्रस्तावित भूमि उक्त परियोजना हेतु लिया जाना उचित है।

V. Financial and social benefits.	स्लरी पाईप लाईन बिछाये जाने से एन.एम.डी.सी. के पूर्व से स्थित लौह खदानों का उत्पादन एवं नये खदानों को विकसित करने में सहयोग होगा। लौह उत्पादन बढ़ने से राज्य एवं केन्द्र सरकार को निम्नलिखित लाभ पहुंचेगा :- 01. वेतन रु. 2000 लाख 02. उत्पादन शुल्क रु. 12, 360 लाख 03. जल उपकर रु. 280 लाख 04. बिजली की दरों रु. 3000 लाख
VI. Population to be benefitted	स्लरी पाईप लाईन बिछाये जाने से लगभग 2500 व्यक्तियों को (निर्मित समेत) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
VII. Employment surety	स्लरी पाईप लाईन बिछाये जाने से लगभग 125 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
2. LOCATION OF THE PROJECT / SCHEME.	
I. State/Union Territory	छत्तीसगढ़ राज्य
II. District.	दन्तेवाड़ा एवं बस्तर जिला।
III. Forest Division, Forest Block, Compartment etc.	दन्तेवाड़ा वन मंडल के अन्तर्गत बघेली परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1853, 1852, 1850, 1838, 1837, 1762P, एवं खसरा क्रमांक 5, 147, 145, 142, 141, 136, 2, 87, 86, 56, 54, 51, 1232, 1231, 1256, 1259, 991, 1225, 1200, 1196, 392, 540, 565, 562, 576, 896, दन्तेवाड़ा परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1401, 1373P खसरा क्रमांक 404, 402, 145, 141, 136, 62, 50, 474, 443, 435, 404, 999, 1003, 984, 961, 963, 964, 968, 976, 970, 1147, 492, 491, 490, 489, 488, 479, 466, 467, 458, 395, 254, गीदम परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1350P, एवं खसरा क्रमांक 151, 150, 152, 148, 154, 153, 155, 156, 157, 158, 170, 171, 172, 175, 138, 117, 28, 194, 193, 160, 165, 940, 265, 286, 283, 288, 300, 310, 320, 808, 15, में कुल रकबा 42.788 हे. आरक्षित/संरक्षित वनभूमि/राजस्व वनभूमि प्रस्तावित है। बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत चित्रकोट परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1676P, 1672P, 1637P, एवं खसरा क्रमांक 15, 25, 31, 42, 328, 331, 359, 1080, 1079, 1076, 1074, 1035, 1032, 824, 867, 773, 526, 527, 5, 16, 262, 535/1, 315, 429, 1086/2, 1060, 1059, 954, 945, 143, 142, 132, 130, 274, 292, 46, 225, 58, 224, 313, 440, 340, 95/875, 52, 609, 721, 719, 742, 784, 785, 787, 822, 818, 817, 816, 815, 1, 3, 900, 901, 383, 747, 745, 749, 752, 5, 238, 226, 221, 218, 203, 201, 195, 273, 91, 95, 104, 118 जगदलपुर परिक्षेत्र में खसरा क्रमांक 151, 147, 256, 312, 415, 288, 9, 13, 18, 149, 1320, 1343, 1360, 1337, 636, 740, 744, 415, 416, 424, 437, 231, 221, 228 माचकोट वन परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1813P, एवं खसरा क्रमांक 1082, 1085, में कुल रकबा 41.043 हे. संरक्षित वनभूमि/असीमांकित संरक्षित वन (आरेंज एरिया) राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) स्लरी पाईप

	(National Park) के अंतर्गत आता है।
VII. Item.wise break.up of the forest land required for the project/ scheme for different purpose.	दन्तेवाड़ा वन मंडल दन्तेवाड़ा वन मंडल के अन्तर्गत संरक्षित वन रकबा 7.754 हे., आरक्षित वन 12.198 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 22.836 हे. (छोटे झाड़ के जंगल) में कुल रकबा 42.788 हे. में स्लरी पाईप लाईन के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु। बरतार वन मंडल बरतार वन मंडल के अन्तर्गत संरक्षित वन रकबा 4.499 हैं. एवं असीमांकित संरक्षित वन (आरेंज ऐरिया) राजस्व वन रकबा 36.544 हैं. मे कुल रकबा 41.043 हैं. मे स्लरी पाईप लाईन के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु।
VIII. Rare endangered species of flora and fauna found in the area.	निरंक
IX. Whether it is a habitat for migrating fauna or forms a breeding ground for them.	नहीं है।
X. Any other significance of the area relevant to the proposal.	नहीं है।
5. Details of displacement of people due to the project:	कोई विस्थापन नहीं है।
I. Total number of families involved in displacement.	निरंक
II Number of scheduled caste/ scheduled tribes families involved in displacement.	निरंक
III Detailed rehabilitation plan.	आवश्यकता नहीं है
6. Details of compensatory afforestation scheme:.	
I. Details of non-forest area Degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कक्ष क्रमांक 1845, 1306, 1257 चयनित है, जिसका कुल रकबा 168.00 हे0 है। area of CA 168 Ha-
II. Map showing non forest/ degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.	संलग्न है
III. Detailed compensatory aforestation scheme including species to be planted. Implementing agency. Time schedule, cost structure, etc.	संलग्न है
IV. Total financial out lay for compensatory afforestation scheme.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रु 10,08,28,054-00/- है।

V. Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory and from management point of view. (To be signed by an officer not below the rank of Deputy Conservator of Forest.	संलग्न है
7. Details regarding Transmission Lines (only for transmission Line proposal)	
I. Total length of the transmission line.	आवश्यकता नहीं है
II. Length passing through forest area.	आवश्यकता नहीं है
III. Right of way.	आवश्यकता नहीं है
Number of Towers to be erected.	आवश्यकता नहीं है
IV. Number of Towers to be erected in forest area.	आवश्यकता नहीं है
V. Height of transmission Towers.	आवश्यकता नहीं है
8. Details of irrigation Hydel Project (only for irrigation/ Hydel Project.	आवश्यकता नहीं है
I. Total catchment area.	आवश्यकता नहीं है
II. Total command area.	आवश्यकता नहीं है
III. Full reservoir Level.	आवश्यकता नहीं है
IV. High Flood Level	आवश्यकता नहीं है
V. Minimum Drawal Level.	आवश्यकता नहीं है
VI. Break.up area falling in catchment area of the project (Forest land, cultivated land, pasture land human cultivation, others).	आवश्यकता नहीं है
VII. Area of submergence at high flood level.	आवश्यकता नहीं है
VIII. Area of submergence at full Reservoir level.	आवश्यकता नहीं है
IX. Area submergence at 2 meter below full Reservoir level.	आवश्यकता नहीं है
X. Area of submergence at 4 meter below full Reservoir level (For medium and major projects only).	आवश्यकता नहीं है
XI. Area of submergence at high flood level.	आवश्यकता नहीं है
XII. Area of submergence at full reservior level.	आवश्यकता नहीं है
XIII. Area of submergence at 2 metre brlow full reservior level.	आवश्यकता नहीं है
XIV. Area of submergence at 4 meter below full Reservoir level (For Medium add major projects only).	आवश्यकता नहीं है
XV. Area of submergence at minimum Drawal level.	आवश्यकता नहीं है
XVI. Detailed catchment outlays and details regarding availability Offunds for catchment area treatment plant.	आवश्यकता नहीं है

9. Details regarding mining proposal (Only for Road/ Railway lines proposal.)	आवश्यकता नहीं है
I. Length and width of the strip and forest area required.	आवश्यकता नहीं है
II. Total length of the Road	आवश्यकता नहीं है
III. Length of the Road already constructed.	आवश्यकता नहीं है
IV. Length of the Road passing through forest.	आवश्यकता नहीं है
10. Details regarding mining proposal (Only for mining proposal).	आवश्यकता नहीं है
I. Total mining lease area and forest required.	आवश्यकता नहीं है
II. Period of mining lease proposed.	आवश्यकता नहीं है
III. Estimated reserves of each mineral/ore in the non-forest area.	आवश्यकता नहीं है
IV. Annual estimated production of mineral/ore.	आवश्यकता नहीं है
V. Nature of mining operation. (opencast/underground.	आवश्यकता नहीं है
VI. Phased reclamation plan.	आवश्यकता नहीं है
VII. Gradient of the area where mining would be undertaken.	आवश्यकता नहीं है
VIII. Copy of the leased Deed (to be attached only for renewal purposed).	आवश्यकता नहीं है
IX. No. of labours to be employed. Area of Forest Land required for :.	आवश्यकता नहीं है
a. Mining.	आवश्यकता नहीं है
b. Storing mineral/ore.	आवश्यकता नहीं है
c. Dumping of overburden.	आवश्यकता नहीं है
d. Storing tools and machinery.	आवश्यकता नहीं है
e. Construction of building power stations, workshop etc.	आवश्यकता नहीं है
f. Township/Housing colony.	आवश्यकता नहीं है
g. Construction of Road, ropeway lines.	आवश्यकता नहीं है
h. Full land use plant of forest area required.	आवश्यकता नहीं है
X. Reason why any of the activities referred to in (a) to (h) above under the project for which forestland has been asked for cannot area.	आवश्यकता नहीं है
XI. The extent of damage likely to be caused and	

	में कुल रकबा 41.043 हे. संरक्षित वनभूमि/असीमांकित संरक्षित वन (आरेंज एरिया) राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) स्लरी पाईप लाईन हेतु प्रस्तावित है।
3. Item.wise break.up of the total land required for the project/ scheme along with the Existing land use.	स्लरी पाईप लाईन निर्मा. हेतु दन्तेवाड़ा वन म.डल के अन्तर्गत 42.788 हे0 एवं बस्तर वन म.डल के अन्तर्गत 41.043 हे0 वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।
4. Details of forest land involved.	
Legal status of the forest	<u>दन्तेवाड़ा वन म.डल</u>
I. (namely, reserve, Protected / unclassified etc.	आरक्षित वन — रकबा 12.198 हे. संरक्षित वन —रकबा 7.754 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल)— रकबा 22.836 हे. कुल योग — रकबा 42.788 हे. <u>बस्तर वन म.डल</u> संरक्षित वन — रकबा 4.499 हे. सीमांकित संरक्षित वन (डी.पी.एफ.)—रकबा 12.547 हे. राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल)— रकबा 23.997 हे. कुल योग — रकबा 41.043 हे.
II. Details of flora and fauna existing in the area.	Details of flora and fauna existing in the area is enclosed as Annexure 7-1
III. Density of vegetation.	<u>बस्तर वन मण्डल</u> 0.2 to 0.5 तक <u>दन्तेवाड़ा वन मण्डल</u> 0.5 to 0.7 तक
IV. Species.wise and diameter class.wise abstract of trees.	संलग्न है।
V. Vulnerability of the forest area to erosion, whether it forms a part of a seriously eroded area or not.	Nil
VI. Whether it forms a part of national park, wildlife sanctuary, nature reserve, biosphere reserve etc and if so details of the area involved. (specific comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed.	<u>दन्तेवाड़ा वन म.डल</u> आवेदित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का वन प्रबंधन सूचना प्र.ाली वनम.डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र अक्षांश एवं देशांश के आधार पर 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेचर रिजर्व (national park, wildlife sanctuary, nature reserve, biosphere reserve etc) नहीं है। <u>बस्तर वन म.डल</u> आवेदित क्षेत्र संरक्षित वनभूमि/असीमांकित संरक्षित वन (आरेंज एरिया) राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) वन प्रबंधन सूचना प्र.ाली वनम.डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र अक्षांश एवं देशांश के आधार पर 10 कि.मी. की परिधि में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

number of trees affected on account of mining and related activities.	
XII. Distance of the mining area from perennial water courses national parks, sanctuaries and biosphere reserves.	
XIII. Procedure for stocking of the topsoil for reuse.	
XIV. Extent of subsidence expected in underground mining operations and its impact on water, forest and other vegetation.	
11. Cost benefit analysis	संलग्न है।
12. Whether clearance from environmental angle is required. (Yes/No) If yes, whether requisite details for the same have been furnished (Yes/No)	संलग्न है।
13. Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No) If yes:.	नहीं।
1. Details of the same including date of commencement.	नहीं।
2. Officers responsible for violation of the Act .	नहीं।
3. Action taken/being taken against erring officers.	नहीं।
4. Whether work in violation of the Act is still in progress.	नहीं।
14. Any other information	नहीं।
15. Detail of certificates/document enclosed	चेकलिस्ट अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न है
16. Detailed opinion of the Chief Conservator of Forest/ Head of the Forest Department concerned covering the following aspects, namely :.	नहीं।
I. Out.turn timber, fuelwood and other forest produce from the forest land involved.	नहीं।
II. Whether the district is self sufficient in timber and fuel wood and	नहीं।
III. The effect of the proposed	नहीं।
(a) Fuel wood supply to rural population.	नहीं।
(b) Economy and livelihood of the tribal and backward communities.	नहीं।

IV. Specific recommendations of the Chief Conservator of Forest/Head of the Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with reasons thereof.

दन्तेवाड़ा वन मंडल

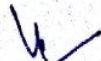
दन्तेवाड़ा वन मंडल के अन्तर्गत बचेली परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1853, 1852, 1850, 1838, 1837, 1762P, एवं खसरा क्रमांक 5, 147, 145, 142, 141, 136, 2, 87, 86, 56, 54, 51, 1232, 1231, 1256, 1259, 991, 1225, 1200, 1196, 392, 540, 565, 562, 576, 896, दन्तेवाड़ा परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1401, 1373P खसरा क्रमांक 404, 402, 145, 141, 136, 62, 50, 474, 443, 435, 404, 999, 1003, 984, 961, 963, 964, 968, 976, 970, 1147, 492, 491, 490, 489, 488, 479, 466, 467, 458, 395, 254, गीदम परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1350P, एवं खसरा क्रमांक 151, 150, 152, 148, 154, 153, 155, 156, 157, 158, 170, 171, 172, 175, 138, 117, 28, 194, 193, 160, 165, 940, 265, 286, 283, 288, 300, 310, 320, 808, 15, में कुल रकबा 42.788 हे. आरक्षित/संरक्षित वनभूमि/राजस्व वनभूमि में स्लरी पाईप लाईन के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु।

बस्तर वन मंडल

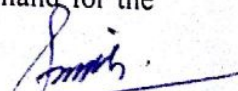
बस्तर वन मंडल के अन्तर्गत चित्रकोट परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1676P, 1672P, 1637P, एवं खसरा क्रमांक 15, 25, 31, 42, 328, 331, 359, 1080, 1079, 1076, 1074, 1035, 1032, 824, 867, 773, 526, 527, 5, 16, 262, 535/1, 315, 429, 1086/2, 1060, 1059, 954, 945, 143, 142, 132, 130, 274, 292, 46, 225, 58, 224, 313, 440, 340, 95/875, 52, 609, 721, 719, 742, 784, 785, 787, 822, 818, 817, 816, 815, 1, 3, 900, 901, 383, 747, 745, 749, 752, 5, 238, 226, 221, 218, 203, 201, 195, 273, 91, 95, 104, 118 जगदलपुर परिक्षेत्र में खसरा क्रमांक 151, 147, 256, 312, 415, 288, 9, 13, 18, 149, 1320, 1343, 1360, 1337, 636, 740, 744, 415, 416, 424, 437, 231, 221, 228 माचकोट वन परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 1813P, एवं खसरा क्रमांक 1082, 1085, में कुल रकबा 41.043 हे. संरक्षित वनभूमि/असीमांकित संरक्षित वन (आरंज एरिया) राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ के जंगल) में स्लरी पाईप लाईन के लिए भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित है।

उपयुक्त राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन भूमि प्रस्तावित है जो न्यूनतम है। प्रस्ताव की अनुसंशा की जाती है।

Certified that all other alternatives for the purpose have been explored and demand for the required area is the minimum demand for forest land-


DFO

Dantewada Division
DISTRICT: DANTEWADA(C.G)


Project Manager
Slurry Pipeline Project
NMDC LIMITED
Jagdalpur


DFO

Bastar Division
DISTRICT: BASTAR (C.G)